प्रेस नोट संख्या 13

दिनांक – 16.02.2026

सराहनीय कार्य थाना मुसाफिरखाना व स्वाट टीम अमेठी

रंगदारी/उद्यापन की घटना का खुलासा, घटना से संबन्धित 04 लाख 50 हजार रुपये नगद, 03 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, घटना में प्रयुक्त कार, 01 तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर के साथ 02 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 13.02.2026 को आवेदक श्री रमन कुमार अग्रहरि पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम विसारा पूरव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी द्वारा थाना मुसाफिरखाना पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.02.2026 को सुबह करीब 08.30 बजे अपने बेटे को धरौली स्कूल से वापस छोड़कर आते समय रास्ते में शुक्ला पेट्रोल पंप के पास 04 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उन्हें रोककर एक सफेद कार में जबरदस्ती बैठाकर ले गये व जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपये लेकर छोड़ दिये। उक्त सूचना पर थाना मुसाफिरखाना पर मु0अ0सं0 22/26 धारा 308(5), 115(2), 351(3) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। ***घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबन्ध में पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. द्वारा संबन्धित को आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये।***

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.02.2026 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुसाफिरखाना व स्वाट टीम जनपद अमेठी पुलिस द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये बिना नंबर प्लेट स्विफ्ट डिजायर कार सवार 02 अभियुक्त 1.अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी नगरा पूरे बदली थाना छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 24 वर्ष व 2.घनश्याम पाण्डेय पुत्र जटाशंकर पाण्डेय निवासी कलानी कला थाना छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। ***तलाशी से अभियुक्त घनश्याम पाण्डेय के कब्जे से 5,000/- रुपये, 01 आधार कार्ड (सौरभ पाण्डेय के नाम का), 01 पैन कार्ड (राजकुमार यादव के नाम का) तथा अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह के कब्जे से 4,45,000/- रुपये नगद, 03 अदद मोबाइल फोन(02 फोन वादी के व 01 अभियुक्त का), 01 तमंचा , 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 आधार कार्ड व 01 पैन कार्ड व तलाशी से कार की डिग्गी से 01 कूटरचित नंबर प्लेट बरामद हुआ।***

बरामदगी के संबन्ध में पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह अपने 05 अन्य साथियों महेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी पिण्डारा महाराज थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी, 2.सौरभ पाण्डेय पुत्र कैलाश पाण्डेय निवासी , 3.राजकुमार यादव पुत्र रामउजागिर यादव निवासी जीतीपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती, 4.इस्लाम पुत्र रशीद अहमद निवासी इमामबाड़ा काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा व 5.शुभम यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी ग्राम पूरे हंसा मजरे भीखीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के साथ मिलकर दिनांक 10.02.2026 को रमन अग्रहरि को डरा-धमका कर बरामद इसी कार से आकर वादी की बोलेरो कार में बैठ गये थे तथा उनसे रुपये लेकर छोड़ दिये थे। अभियुक्तगण घटना के समय कार में कूटरचित नंबर प्लेट लगा लेते हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 127(2), 318(4), 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त महेश सिंह का गांव पिण्डारा, वादी रमन अग्रहरि के गांव भीखीपुर के पड़ोस में ही है तथा अभियुक्त महेश सिंह का सगा रिश्तेदार अनुज प्रताप सिंह उपरोक्त पूर्व में महेश सिंह के घर पर ही रहता था। वादी रमन अग्रहिर अभियुक्त महेश सिंह व अनुज प्रताप सिंह से भलीभांति जानते व पहचानते हैं तथा अभियुक्त शुभम यादव, वादी के गांव भीखीपुर के मजरे का निवासी है। इस प्रकार दोनों पक्ष एक-दूसरे के परिचित थे चूकि महेश सिंह शातिर अपराधी है इसीलिए भयवश वादी द्वारा अभियुक्तों का नाम नहीं लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त प्रकार की ही घटना दिनांक 28.01.2026 को थानाक्षेत्र कैण्ट जनपद अयोध्या अन्तर्गत कारित की गयी थी जिसमें दिनांक 15.02.2026 को 02 अभियुक्त महेश सिंह व सौरभ पाण्डेय को जनपद अयोध्या पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी की घटना से संबन्धित 85 हजार रुपये सौरभ पाण्डेय उपरोक्त के खाते में पुलिस द्वारा सीज कराये गये हैं तथा अभियुक्त सौरभ पाण्डेय के कब्जे से 10 हजार रुपये व अभियुक्त महेश सिंह के कब्जे से 40 हजार रुपये सहित कुल 50 हजार रुपये की बरामदगी की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी नगरा पूरे बदली थाना छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 24 वर्ष। **(04 लाख 45 हजार नगद, आधार कार्ड व पैनकार्ड ।)**
2. घनश्याम पाण्डेय पुत्र जटाशंकर पाण्डेय निवासी कलानी कला थाना छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 21 वर्ष। **(03 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड व 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।)**

बरामदगी-

1. कुल 4 लाख 50 हजार रुपये नगद।
2. 02 आधार कार्ड व 02 पैन कार्ड।
3. 03 मोबाइल फोन। (वादी का व घटना में प्रयुक्त)
4. 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
5. 01 कूटरचित नंबर प्लेट।
6. घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट स्विफ्ट डिजायर कार।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 22/26 धारा 308(5), 115(2), 351(3), 317(2), 127(2), 318(4), 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुसाफिरखाना-

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 गोपाल मणि मिश्र थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. हे0का0 अजय कुमार पाल थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
4. का0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

स्वाट टीम-

1. श्री अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम अमेठी।
2. हे0का0 आलोक सिंह स्वाट टीम अमेठी।
3. का0 जयहिन्द यादव स्वाट टीम अमेठी।
4. का0 शिवराम स्वाट टीम अमेठी।
5. का0 मनीष कुमार स्वाट टीम अमेठी।
6. का0 सिकन्दर स्वाट टीम अमेठी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त घनश्याम पाण्डेय-

1. मु0अ0सं0 15/25 धारा 317(2), 317(5) बी0एन0एस0 थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0 52/25 धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना हरैया जनपद बस्ती।

अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह उर्फ मुरारी सिंह-

1. मु0अ0सं0 52/25 धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना हरैया जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0 15/25 धारा 317(2), 317(5) बी0एन0एस0 थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
3. मु0अ0सं0 188/25 धारा 127(2), 140(2), 310(2), 311(2), 317(3), 351(2) बी0एन0एस0 थाना परशरामपुर जनपद बस्ती।
4. मु0अ0सं0 128/25 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुबैलिया जनपद बस्ती।
5. मु0अ0सं0 17/22 धारा 411 भादवि व 60(1) आबकारी अधि0 थाना पटरंगा जनपद बस्ती।
6. मु0अ0सं0 121/22 धारा 399, 402, 307 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
7. मु0अ0सं0 123/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक अमेठी महोदय द्वारा 15,000/- रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।